पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 105/2024 **दिनांक- 30.03.2024**

प्रेस नोट

थाना – रौनापार

ग्राम सेठाकोली में घटित सामुहिक दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित 02 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार; अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 28.03.2024 को वादी मुकदमा थाना रौनापार आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 27.03.2024 को सायं 05 बजे कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी मुकदमा की मुकबधिर पुत्री उम्र 18 वर्ष को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर चले गये और उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर देर रात्रि में गांव के बाहर छोड़कर भाग गये, मुकबधिर युवती बेहोशी की हालत में थी, दवा इलाज कराने के बाद जब होश में आयी, तो उसने बताया कि जो लोग लेकर गये थे, उनमें से एक का मोबाइल नम्बर 995645xxxx है, के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 114/2024 धारा 376D भादवि बनाम मो0नं0- 995645xxxx का धारक व कुछ अन्य लोग नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. शैलेश यादव पुत्र राजनेत यादव निवासी वेदपुर नौतप्पी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान 3. शिवशंकर चौहान पुत्र स्व0 जयपाल चौहान निवासीगण ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण (पुलिस मुठभेड़)-

दिनांक- 30.03.2024 को **समय करीब 00.50 बजे रात्रि में** थानाध्यक्ष रौनापार विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 27.03.2024 की रात्रि में ग्राम सेठाकोली की मुकबधिर लड़की के साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना करने वाले तीनों अभियुक्त शैलेष यादव, राहुल चौहान व शिवशंकर चौहान एक नीले व काले रंग की पल्सर मोटर साईकिल से बेलकुण्डा की तरफ से बघावर के तरफ आ रहे है, इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी रौनापार मय हमराह द्वारा बाजार गोसाई में पूर्व से मौजूद द्वितीय मोबाईल में व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह को उक्त सूचना के सम्बन्ध अवगत कराकर बघावर की तरफ आने को कहा गया, तब तक बघावर बाजार गोसाई तिराहे पर सामने से एक मोटर साइकिल पर तीन सवार व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जो पुलिस की गाड़ी को देखकर मोटर साइकिल मोड़कर पुनः बाजार गोसाई की तरफ भागने लगे, पुलिस द्वारा उन युवकों का पीछा करते हुये **भैसाड़ पुल से** पहले पहुँचे तब तक सामने से थाने की द्वितीय मोबाईल मय फोर्स आती हुई दिखाई दी जिससे मोटर साइकिल सवारो नें अपने को दोनो तरफ से पुलिस पार्टी से घिरा देखकर अपनी मोटरसाइकिल अचानक मुड़ाकर भागने का प्रयास किये कि मोटरसाइकिल अनियन्त्रित हो गयी और पीछे बैठे दो सवार व्यक्ति नीचे गिर गये कि मोटर साइकिल चालक मोटर साइकिल को उठाकर भैसाड़ गांव की तरफ तेजी से चलाकर भाग गया। गिरे हुये दोनो अभियुक्तों ने दोनो तरफ से पुलिस से घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया कि पुलिस पार्टी द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है।

➡**पहले घायल बदमाश की पहचान राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई जिसके बायें पैर** के घुटने की नीचे गोली लगी है तथा **दूसरे घायल बदमाश की पहचान शिवशंकर चौहान पुत्र स्व0 जयपाल चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई जिसके दाहिने पैर** के घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल बदमाशों को दवा इलाज हेतु **सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा** गया है।

➡**घायल बदमाश राहुल चौहान के कब्जे** से 01 देशी तमन्चा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक मोबाईल व नगद 320/- रूपये बरामद किया गया तथा दुसरे **अभियुक्त शिवशंकर चौहान** के कब्जे से 01 देशी तमन्चा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, एक मोबाइल व 250/- रूपया नगद बरामद हुआ।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर **थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 118/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 27.03.2024 को **हम तीनों 1. शैलेश यादव पुत्र राजनेत यादव निवासी बेदपुर** नौतप्पी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान 3. शिवशंकर चौहान पुत्र स्व0 जयपाल चौहान निवासीगण ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ ने वादी मुकदमा थाना रौनापार आजमगढ़ की मुकबधिर लड़की को शैलेष यादव की मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक साथ ले जाकर सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए थे।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0- 118/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

अभियुक्त राहुल चौहान व अभियुक्त शिवशंकर चौहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 114/2024 धारा 376D भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 118/2024 धारा 307 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार आजमगढ़। आजमगढ़।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. शिवशंकर चौहान पुत्र स्व0 जयपाल चौहान निवासी ग्राम सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1- 02 देशी तमन्चा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर,
2- दो मोबाईल व नगद 570/- रूपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
हे0का0 दिनेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
हे0का0 निकेश तिवारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
हे0का0 प्रमोद यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
हे0का0 रोहित कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 अवधेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 विशाल मल्ल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 अखिलेश पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 नीरज यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 अमितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 अखिलेश पटेल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।